

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज माधोसिंह पुत्र मूलसिंहजी, राजपूत रावला सोनीगरा, बोया (पाली), राज. बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 38/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/92 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>4/3/22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित ।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन—पत्र दिनांक 13.11.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बाली ने जरिये पत्रांक/स.लो.सू.अ./2022/615 दिनांक 02.03.2022 के इस न्यायालय को जवाब प्रेषित कर अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उक्त पत्र की मूल प्रति के सलंगन अपीलार्थी को प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में उपस्थित हुए है। अतः यह माना जाता है कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रैस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li> <li>6. निर्णय आज दिनांक 4/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li> </ol> <p>(नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	